राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 521/2025

भूपेन्द्र कुमार मेहरा **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, कृषि एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर एवं अन्य।
–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.02.2025
आदेश की दिनांक : 25.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश कुमार मीणा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियन्ता, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण के पद पर पंचायत समिति, उमरेण, अलवर में पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 566 किलोमीटर दूर जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण पंचायत समिति, दलोत, प्रतापगढ टी.एस.पी. क्षेत्र में किया गया, किन्तु अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया गया है। अतः रिक्त पद पर स्थानान्तरण में कोई भी प्रशासनिक आवश्यक्ता का कारण नहीं था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि राजस्थान टी.एस.पी. नियम–2014 के तहत कार्मिक का स्थानान्तनरण गैर टी.एस.पी. क्षेत्र से टी.एस.पी. क्षेत्र में नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्थान टी.एस.पी. नियम–2014 अनुसूचित के क्षेत्र एक बन्द केडर है जो लागू नियमों के विनियमों और राजकीय परिपत्रों का उल्लंघन है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी की माताजी एवं पत्नी दोनों ही पारिवारिक सदस्य, रीढ की हड्डी में Slip disk cytica

L4-L5, L5-S1 की परेशानी से जूझ रही हैं तथा चिकित्सक ने उन दोनों की स्पाईन सर्जरी का परामर्श दिया है एवं चिकित्सक ने उन्हें पूर्णतया बेड रेस्ट का परामर्श दिया है और उनका ईलाज अलवर में ही चल रहा है। अपीलार्थी की वृद्ध माता जी एवं उनकी पत्नी दोनों ही सदस्य घरेलू कार्य करने में असमर्थ हैं। अपीलार्थी के वृद्ध पिता भी अक्सर बीमार रहते हैं जिनकी सम्पूर्ण देखभाल की जिमेदारी भी अपीलार्थी पर ही है। अपीलार्थी के दो छोटे बच्चे हैं जिनमें लडके की आयु 08 वर्ष एवं लडकी की आयु 14 वर्ष हैं। अतः उपरोक्त परिस्थिति में आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जाने का निवेदन किया है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य